FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0257 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/09/2026 16:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 18/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 18/06/2026

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/09/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/09/2026 16:58:37 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** PATWAR GHAR LAXMANGARH, JILA ALWAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHERSINGH MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAXMANSINGH MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHERA MANGAL SINGH, LAXMANGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHERA MANGAL SINGH, LAXMANGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARENDRA SINGH NARUKA		पिता:MOTISINGH NARUKA	1. 68,SCHIM NO. 08,GANDHINAGAR, ALWAR,ALWAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.2026 को वक्त करीब 9.15 ए.एम पर मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर पर ब्यूरो मुख्यालय हैल्पलाईन 1064 के प्रभारी का मैसेज आने पर उसी वक्त मुझ उप अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर वार्ता की और अपना परिचय दिया जाकर उसका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम शेरसिंह मीना पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह मीना निवासी खेडा मंगल सिंह तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर का रहने वाला बताया और अवगत कराया कि दिनांक 25.05.2026 को हमारी राजस्व भूमि के खाता नं0 247 खसरा संख्या 603, 604, 625 जो मेरे पिताजी स्व. श्री लक्ष्मन सिंह व स्व. ताऊजी श्री रामजीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी दोनो के देहान्त के बाद हमारी जमीन का इन्तकाल मेरे व मेरे दो भाईयों के नाम तथा ताऊ के हिस्से की जमीन का इन्तकाल उनके पौते रवि कुमार के व उसकी पुत्र वधू सावित्रि देवी के नाम रिकॉर्ड में चढ गई थी। खसरा नं0 603, 604, 625 को हम तीन भाईयो व रवि व सावित्रि के नाम अलग-अलग खाते करवाने के लिए श्री नरेन्द्र पटवारी, पटवार हल्का खेडा मंगल सिंह से दिनांक 17.06.2026 को मिला तो पटवारी नरेन्द्र ने हमारे खाते अलग-अलग करने के लिए मुझसे 12000/-रूपये की रिश्वत की मांग की और उसी दिन मुझसे 6000/-रूपये ले लिये और मुझसे कहा कि बकाया 6000/-रूपये दोगे जभी आपका काम होगा । मैं उनको रिश्वत नहीं देना चाह रहा हूं और उनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूं, परिवादी से कार्यवाही हेतु कार्यालय आने के लिए कहा गया तो परिवादी ने कहा स्वास्थय ठीक नहीं होने के कारण आपके कार्यालय नहीं आ सकता, परिवादी ने ये भी अवगत कराया कि नरेन्द्र पटवारी आज मेरे से मिलने की कही है। आप आपके कार्यालय से तहसील लक्ष्मणगढ पर स्टाफ भेज देना, मैं उन्हे वहां मिल जाऊंगा। मैं रिश्वत मांग सत्यापन करवा दुंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक प्रक्रिया व हिदायत देकर निर्देष दिये गये आपसे, मेरे कार्यालय का कर्मचारी श्री सुण्डाराम हैड कानि. सम्पर्क कर लेगा। तत्पश्चात वक्त करीब 11.15 ए.एम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसमे नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी सैनडिस्क को डालकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर व परिवादी श्री शेरसिंह मीना के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हिदायत दी गई कि वह लक्ष्मणगढ जाकर परिवादी श्री शेरसिंह मीना से जरिए मोबाइल सम्पर्क कर परिवादी को आरोपी के पास भिजवाये जाने से पूर्व परिवादी से उसकी शिकायत के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर तथा वॉईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन कराये जाने पर रिकॉर्डर वापस प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखे एवं मन उप अधीक्षक पुलिस को समस्त हालात जरिए वाट्सअप कॉल अवगत करावे। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री सुण्डाराम हैड कानि. को समय 11.30 एएम पर लक्ष्मणगढ के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 2.35 पी.एम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने जरिए वाट्सअप कॉल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैंने लक्ष्मणगढ कस्बा से पहले मालाखेडा रोड पर पहुंचकर परिवादी श्री शेरसिंह मीना से सम्पर्क करने पर परिवादी ने उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर (राज.)के नाम संबोधन करते हुए एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र कार्यवाही करवाने के लिये दिया। तत्पश्चात परिवादी को मैने आपके निर्देशानुसार परिवादी को विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की विधि समझाकर रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द कर, आरोपी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पटवार घर लक्ष्मणगढ के लिए रवाना कर दिया, जिसके बाद करीब पन्द्रह बीस मिनट बाद परिवादी श्री शेरसिंह मीना, पटवार घर लक्ष्मणगढ से बाहर आ गया और मैंनें परिवादी से वॉइस रिकॉर्डर चालू हालत में प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया एवं परिवादी ने बताया है कि मेरी पटवारी नरेन्द्र से रिश्वत के संबंध में बात हो गई है, मेरे व मेरे भाईयो तथा मेरे ताऊजी के वारिसान उनके पौते रवि व पुत्रवधु श्रीमती सावित्री के नाम अलग-अलग खाते करवाने के लिए श्री नरेन्द्र पटवारी ने 6000/-रूपये की रिश्वत की मांग की है। श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने परिवादी से भी वार्ता करवाई गई तो उक्त बातों की ताईद परिवादी श्री शेरसिंह मीना ने भी की, जिस पर परिवादी को रिश्वती राशी सहित कार्यालय आने की कही गई तो परिवादी ने बताया मेरा स्वास्थय ठीक नहीं है। मैं दिनांक 19.06.2026 को आपके कार्यालय आ जाऊंगा। इस पर परिवादी श्री शेरसिंह मीना को दिनांक 19.06.2026 को समय 09.30 एएम पर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशी के साथ उपस्थित आने की हिदायत दी गई तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी को वहीं छोडकर मय टेप

रिकॉर्डर के कार्यालय आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 5.00 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर व परिवादी द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मय जमीन की जमाबन्दी व आधारकार्ड की फोटोकॉपी को मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा टाईपशुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जो उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (राज.) अलवर के नाम संबोधन से इस आशय का था "मेरे पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह व मेरे ताऊजी श्री रामजीलाल की मृत्यु होने पर मेरे गांव खेडा मंगल सिंह की कृषि भूमि खाता संख्या 247 खसरा संख्या 603, 604, 625 की कृषि भूमि मेरे पिताजी के हिस्से की मेरे व मेरे दो भाईयों के नाम तथा मेरे ताऊजी के हिस्से की उसके पौते श्री रवि व पुत्रवधु श्रीमती सावित्रि देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल खोल दिया गया। उक्त तीनों खसरों का मेरे व मेरे दोनो भाईयो तथा मेरे ताऊजी के पौते व पुत्रवधु के नाम अलग अलग खाता करवाने के लिए मैं दिनांक 17.06.2026 को हमारे हल्का पटवारी श्री नरेन्द्र से मिला तो उसने हमारे खाते अलग-अलग करने के लिए 12000/-रूपये की मांग की और मुझसे 6000/-रूपये उसी दिन ले लिये और मुझसे कहा कि दो तीन दिन में 6000/-रूपये दे जाना जभी आपका काम होगा। मैं भ्रष्ट पटवारी नरेन्द्र को रिश्वत नहीं देना चाहता उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। हमारी जमीन की जमाबंदी व मेरे आधार कार्ड की फोटोकापी पेश कर रहा हूं। कृप्या कानूनी कार्यवाही करें।" उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी व संदिग्ध आरोपी पटवारी के मध्य रिश्वत मांग के संबंध में स्पष्ट वार्ता होना पाई गई। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.15 पी.एम पर महेशचन्द कानि. चालक को उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, अलवर को जरिये पत्र दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त करीब 5.30 पी.एम पर श्री महेशचन्द कानि. चालक मय कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यक कर विभाग अलवर से दो गवाहान को साथ लेकर हाजिर कार्यालय आये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनों गवाहान से अपना परिचय देकर नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम देवेंन्द्र कुमार पुत्र श्री शिम्भूदयाल जाट उम्र 28 साल जाति जाट निवासी पुराना बस स्टैण्ड मालाखेडा जिला अलवर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत बिजनेस ऑडिट अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री हितेश कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री पूरणचन्द वशिष्ठ जाति ब्राहमण उम्र 44 साल निवासी गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजगढ हाल कर सहायक कार्यालय कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत बिजनेस ऑडिट अलवर होना बताया। तत्पश्चात उक्त दोनों गवाहान को दिनांक 19.06.2026 समय 9.30 एएम पर उपस्थित कार्यालय आने के लिए पाबन्द कर एवं गोपनीयता की हिदायत देकर एसीबी चौकी अलवर से रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.06.2026 को वक्त करीब 9.30 ए.एम पाबन्दशुदा गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक व श्री हितेश कुमार, कर सहायक कार्यालय वाणिज्यकर विभाग अलवर हाजिर कार्यालय आये। वक्त करीब 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री शेरसिंह मीना उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि दिनांक 18.06.2026 को आपसे हुई वार्ता अनुसार समय करीब 01.50 पीएम पर आपका कर्मचारी श्री सुण्डाराम ने मुझसे सम्पर्क किया तो मैं लक्ष्मणगढ कस्बा से बाहर मालाखेडा रोड पर श्री सुण्डाराम से मिला। मेरे द्वारा उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर के नाम संबोधन का एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र कार्यवाही करवाने के दिया। इसके बाद आपके कर्मचारी द्वारा टेप रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की विधि समझाकर रिकॉर्डर को चालू कर मुझे सुपुर्द कर, पटवारी नरेन्द्र के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पटवार घर लक्ष्मणगढ के लिए रवाना कर दिया था। मैं पटवार घर पहूंच कर नरेन्द्र पटवारी से मेरे काम के बारे में बातचीत की तो पटवारी नरेन्द्र के द्वारा मेरे व मेरे भाईयो तथा मेरे ताऊजी के वारिसान उनके पौते रवि व पुत्रवधु श्रीमती सावित्रि के नाम अलग-अलग खाते करवाने के लिए 6000/-रूपये की रिश्वत की मांग की है उसके बाद मैं पटवार घर से बाहर निकलकर आपके कर्मचारी सुण्डाराम के पास आकर टेप रिकॉर्डर को चालू हालत में दे दिया जिन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। उसके बाद आपके कर्मचारी ने आपसे बात कराई थी तो उक्त बाते मैनें आपको फोन पर भी बता दी थी। कल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं आपके कर्मचारी के साथ आपके कार्यालय नहीं आ सका। तत्पश्चात परिवादी से आरोपी पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब 6000/-रूपये साथ लेकर आया हूं जो मेरे पास रखे है। परिवादी ने ये भी अवगत कराया कि साहब, पटवारी नरेन्द्र दिन में फिल्ड में चला जाता है, इसलिए आप ट्रेप कार्यवाही के लिए जल्दी चले जिससे वह पटवार घर पर उपस्थित मिल सके। तत्पश्चात परिवादी श्री शेरसिंह मीना का दोनों गवाहान से परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 18.06.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को दिनांक 18.06.2026 को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र पटवारी से करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में रिश्वत मांग से संबंधित मुख्य अंश सुनाये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 10.30 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष मुझ उप अधीक्षक

पुलिस ने परिवादी श्री शेरसिंह मीणा को संदिग्द आरोपी श्री नरेन्द्र पटवारी, पटवार हल्का खेडा मंगल सिंह तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोट कुल राशी 6000/- रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 6000/-रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित किया जाकर, उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शिशी निकलवाई जाकर श्री नरेश कुमार, से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भली भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री शेरसिंह मीना की जामा तलाशी गवाह श्री देवेन्द्र कुमार से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी, केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री नरेश कुमार, से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोटो कुल 6000/- रूपये परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांयी जेब में रखवाये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिसकॉल/मैसेज करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे और समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री नरेश कुमार से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्टाफ से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री नरेश कुमार ,की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अंगुलियो व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी शेरसिंह मीना एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये । इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली षिषीयां, ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा ट्रैप बॉक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई, तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 32 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर सुपुर्द करे। श्री नरेश कुमार को मुनासिफ हिदायत के साथ कार्यालय मे छोडा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 11.50 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री शेरसिंह मीना व दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार व श्री हितेश कुमार वशिष्ठ, एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भास्कर हैड कानि. 59, रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल एसडी कार्ड एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेषचन्द व एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब लक्ष्मणगढ के लिये रवाना हुआ। श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। वक्त करीब 1.00 पी.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा लक्ष्मणगढ कस्बा के पास मालाखेडा रोड पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, संदिग्ध आरोपी पटवारी की लोकेशन जानने के लिए परिवादी के मोबाईल से आरोपी पटवारी श्री नरेन्द्र के मोबाईल पर कॉल करवाया लेकिन फॉन अटैण्ड नहीं किया गया। जिस पर परिवादी शेरसिंह मीना ने अपने किसी जानकार से जानकारी करने पर बताया कि पटवारी लक्ष्मणगढ से बाहर जाना बताया आज पटवारी पटवार घर लक्ष्मणगढ नहीं आयेगे। इस पर वक्त करीब 1.20 पी.एम पर परिवादी की

जानकारी अनुसार संदिग्ध आरोपी पटवारी श्री नरेन्द्र के पटवार घर लक्ष्मणगढ में उपस्थित नहीं होने व आज कार्यवाही नहीं होने के कारण मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री शेरसिंह मीना व दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार व श्री हितेश कुमार वशिष्ठ, एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भास्कर हैड कानि. 59, रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल एसडी कार्ड एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द व एक प्राईवेट वाहन से लक्ष्मणगढ से एसीबी चौकी अलवर के लिये रवाना हुआ। वक्त करीब 3.30 पी. एम मन उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा लक्ष्मणगढ से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। दोनों गवाहन के समक्ष पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि को परिवादी से श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर कार्यालय की आलमारी में रखवाया जाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । तत्पश्चात वक्त करीब 3.40 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री शेरसिंह मीणा के समक्ष परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र, पटवारी, पटवार हल्का खेडा मगंलसिह, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के मध्य दिनांक 18.06.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता जो कि विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे Sandisk 32 GB के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा है, को चलाकर एवं सुनकर दिनांक 18.06.2026 को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया था। कार्यालय की आलमारी में मेरी निगरानी में रखे गये, उक्त राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित ही दिनांक 19.06.2026 को अलमारी से निकाल कर विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को दोनों गवाहान को परिवादी के समक्ष सुनाया जाकर उक्त एसडी कार्ड को विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर ट्रेप कार्यवाही के समय साथ लेकर गये को कार्यालय में उपस्थित आने पर निकाल कर कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर सुना गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर, उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री शेरसिंह मीणा व स्वतंत्र गवाहान को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री शेरसिंह मीणा ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व संदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र, पटवारी, पटवार हल्का खेडा मगंलसिह, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर की होने की पहचान की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी Sandisk 16 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री शेरसिंह मीणा के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A-1, A-2, को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A-1, A-2, अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमति मनिषा महिला हैड कानि0 60 से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 4.40 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के शील्डशुदा पैनड्राईव मार्क A-1, A-2, वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मार्फत चौकी हाजा के मालखाना में दुरूस्त हालत मे जमा करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 22.06.2026 को वक्त करीब 8.30 ए.एम पर पाबन्दशुदा गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक व श्री हितेश कुमार, कर सहायक कार्यालय वाणिज्यकर विभाग अलवर हाजिर कार्यालय आये। इस समय परिवादी श्री शेरसिंह मीना उपस्थित कार्यालय आया। वक्त करीब 9.30 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष दिनांक 19.06.2026 को कार्यालय की आलमारी में रखी पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि को श्री सुण्डाराम हैड कानि. से अखबार में लिपटे हुये निकलवाकर अखबार से रिश्वती राशि को अलग कर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांयी जेब में रखवाये गये, तथा परिवादी को पुनः समझाईस की गई की अब वह इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिसकॉल/मैसेज करे। श्री सुण्डाराम हैड कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा तत्पश्चात इसके बाद गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैप कार्यवाही में उपयोग में आनेवाली शीशीया व ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से पुनः धुलवाया गया तथा ट्रैपबॉक्स

में रखवाया गया, तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द करे और श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। वक्त करीब 10.00 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री शेरसिंह मीना व दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार व श्री हितेश कुमार वशिष्ठ, एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भास्कर हैड कानि. 59, श्री भगवान सिंह कानि. 125, कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर, एसडी मैमोरी कार्ड एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द व एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब लक्ष्मणगढ के लिये रवाना हुआ। श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। वक्त करीब 11.30 ए.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा लक्ष्मणगढ कस्बा पटवार घर के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, संदिग्ध आरोपी नरेन्द्र पटवारी, पटवार घर में उपस्थित है या नहीं की जानकारी हेतु परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर दिये बिना ही पटवार घर लक्ष्मणगढ में पटवारी के कार्यालय के लिए रवाना किया गया। वक्त करीब 11.50 ए.एम आरोपी नरेन्द्र पटवारी पटवार घर में उपस्थित है या नहीं की जानकारी हेतु भेजा गया परिवादी मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया और अवगत कराया कि मैं पटवारी नरेन्द्र के कार्यालय के गेट के पास उनको देख ही रहा था तभी पटवारी नरेन्द्र ने मेरे को आवाज लगाकर कार्यालय के अन्दर बुला लिया और मेरे से कागजात ले लिये और कहा है हम इस महीने कैम्पों में व्यस्त है बाद में आने की कही है। वह अभी मेरे से रिश्वत के पैसे नहीं लेगा। वक्त करीब 12.30 पी.एम पर परिवादी श्री शेरसिंह मीना व संदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र पटवारी के मध्य हुई वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र पटवारी इस महीने कैम्पों में व्यस्त होने और परिवादी से बाद में आने की कहने के कारण परिवादी श्री शेरसिंह मीना ने कहा साहब मैं कैम्पों के बाद में आपके कार्यालय आकर ट्रेप कार्यवाही करवा दुंगा और मुझे घर पर काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। जिस पर परिवादी के पास रखे पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि को परिवादी से श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री शेरसिंह मीना को आरोपी पटवारी का कोई फोन आने पर तुरन्त मन उप अधीक्षक को अवगत कराने व गोपनीयता की हिदायत देकर लक्ष्मणगढ कस्बा में ही छोडकर तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ साथ लाये वाहनो से लक्ष्मणगढ से एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 2.00 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा लक्ष्मणगढ से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। दोनों गवाहन के समक्ष पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि को परिवादी से श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया तथा दोनो गवाहान को जाय तैनाती रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.07.2026 को वक्त करीब 11.00 ए.एम पर उपस्थित कार्यालय आया और मन उप अधीक्षक को बताया की श्री नरेन्द्र सिंह पटवारी ने मेरा काम कर दिया मै अब उसे रिश्वत देना नही चाहता हूं और मेरी ट्रेप राशि 6000/- रूपये लौटाने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये शामिल पत्रावली किया गया।अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री नरेन्द्र पटवारी, पटवार हल्का, खेडा मंगल सिंह, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा अपने वैध पारिश्रम के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी शेर सिंह मीना से उसके पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह व उसके ताऊजी श्री रामजीलाल की मृत्यु होने पर परिवादी के गांव खेडा मंगल सिंह की कृषि भूमि खाता संख्या 247 खसरा संख्या 603, 604, 625 की परिवादी के पिताजी के हिस्से की परिवादी व उसके दो भाईयों के नाम तथा उसके ताऊजी के हिस्से की उसके पौते श्री रवि व पुत्रवधु श्रीमती सावित्रि देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल होने पर उक्त तीनों खसरों का परिवादी व परिवादी के दोनो भाईयो तथा परिवादी के ताऊजी के पौते व पुत्रवधु के नाम अलग अलग खाता करने की एवजं में मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06.2026 को की रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट अनुसार रिश्वत मांग के क्रम में निम्न वार्ता की गई हैः- आरोपी श्री नरेन्द्र, पटवारी- पांच ...चार साहब को दै देंगा दौ मैडम को दै दैंगा आप छह दोगा न बाकि इनकू एक हजार मैं जेब सु दे दिग्यों..जेब सु काई इनमें सु परिवादी शेरसिंह-देखो जैब से मत दिज्यो या चीज मैं ना खु ह न लैकिन मेरा काम कर दयो साहब आरोपी नरेन्द्र पटवारी-एक हजार रामोतार को देना पडेगा पान सो नागपाल को देना पडेगा एक हजार बुधाराम को उन्न मेरी तरफ सु कर दुंगो छह हजार तुम अपना हाथ से तुम्हारा हाथ सु कर दिज्यो परिवादी- कल मेरो आबो होव नाय आरोपी नरेन्द्र पटवारी- भाई को भेज देना भाई को ..... परिवादी शेरसिंह- अब देकर जाउ कुछ आरोपी नरेन्द्र पटवारी- अं परिवादी शेर सिंह- अब देके जाऊ आरोपी नरेन्द्र पटवारी- देखो एक हजार बुधाराम को दुवाउंगों परिवादी शेरसिंह- हूं आरोपी नरेन्द्र पटवारी-एक

हजार लेगो कम्प्यूटर वालो...पान से लेगो नागपाल पांच सू नीचे वा नाय मान वो जबकि चार की खह रहयो में पण वा मैडम को भी दिवाणा पडेगा ऐसे करके तुम्हारे सामने ही बंट जायंगा तूम देख लेना परिवादी शेरसिंह -अब वा आपके स्तर सू करल्यो....देखो बात ये हैं में तो या चीज ना कह सकु आरोपी नरेन्द्र पटवारी- अच्छा कल भेज देना आप हं न ....इसके अलावा जो भी लगेगा न वो में दूंगा छह तुम देना और बाकि में दे दूंगा परिवादी शेरसिंह - छह देना हैं आरोपी नरेन्द्र पटवारी- कल भेज देना छह लेके वा बना देंगे अपने आप परिवादी शेर सिंह- छह लेके आउं आरोपी नरेन्द्र पटवारी- छह तूम भेज दिज्यो उपरोक्त वार्तानुसार आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह नरुका निवासी 68 ,स्कीम नं.8,गांधी नगर अलवर हाल पटवारी, पटवार हल्का, खेडा मंगल सिंह तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा दिनांक 18.05.2026 को परिवादी श्री शेरसिंह मीना से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 6000/-रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। अतः आरोपी श्री नरेन्द्र पटवारी, तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का बेरला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर..... कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह नरुका निवासी 68 ,स्कीम नं.8, गांधी नगर अलवर हाल पटवारी, पटवार हल्का, खेडा मंगल सिंह तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 143 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1483-86 दिनांक 10.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- जिला कलक्टर, अलवर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Suresh Chand **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/09/2026 17:34:42

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)